क्रमांक 1410-5 जी0 एस0 –II––75/9268

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 3 अप्रैल, 1975

विषय :– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान व अन्य सुविधाएं देना––मकान किराया भत्ता की अदायगी ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 9054-4 जी एस0 70/32230, दिनांक 22 दिसम्बर 1970 तथा परिपत्र क्र0 8541-3 जी0 एस0 –II– 72/791, दिनांक 9 जनवरी, 1973 की ओर दिलाने का निदेश हुआ है जिनमें मृतक के परिवार को एक वर्ष तक सरकारी मकान रखने की तथा अन्य केसों में मृतक कर्मचारी को जो मकान किराया भत्ता मिलता था, वह परिवार को एक वर्ष के लिये दिए जाने की सुविधा प्रदान की गई थी। इन अनुदेशों में यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस संबंध में जो व्यय होगा वह उसी व्यय के शीर्ष से दिया जाएगा जहां से मृतक कर्मचारी मृत्यु से पहले वेतन प्राप्त कर रहा था। इस मामले पर पुनः विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी के परिवारों को देय मकान किराया भत्ता का व्यय अब बजट शीर्ष "288––सोशल सैक्यूरिटी फंड वैलफेयर (नान प्लानों) ई–II अन्य प्रोग्रामज-7-मृतक कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान" व अन्य सुविधाएं देने से ही पूरा किया जाएगा। इस बा में सभी विभागाध्यक्षों को D.D.O. घोषित करने के लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस संबंध में व्यय के आंकड़े मासिक विवरण द्वारा इस विभाग को नियमित रूप से भेजे जाएं ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ताक्षर,
अवर सचिव, न्यायाचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।